

7-6-18

पत्रावली न्याय आपके द्वारा-१०१८ में अरुण सेवा
केन्द्र राजी जोराज पेश हुई। मूलवाद एवं T.I.
शां पत्र ०१५-५ में खारिज हो चुका है इसलिये
अवमानना शां पत्र का अब कोई मौलिक नहीं
रह गया है एवं प्राचीन अनुपादवैतक अरु: मूल
वाद एवं T.I. शां पत्र के परिपेक्ष में अवमानना
शां पत्र भी खारिज किया गया। पत्रावली अरुण
सुमार टैक्टर दर्ज नम्बर से कर है। अपेश मजमें
आप में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक